ईडी ने मांगी चैतन्य की 5 दिन की रिमांड, आज होगी सुनवाई

सुनवाई टली, इसलिए एक दिन के लिए भेजा गया जेल

लीगल रिपोर्टर, रायपुर।

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट कंडोलेंस होने के चलते सुनवाई एक दिन के लिए टल गई। अब मंगलवार को ईडी के आवेदन पर सुनवाई होगी। इसलिए कोर्ट ने चैतन्य को एक दिन के लिए जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था।

पिछली सुनवाई 4 अगस्त को हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने चैतन्य को न्यायिक रिमांड पर भेजा था। इसके पहले चैतन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को गलत बताते हुए चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद भूपेश और चैतन्य के वकील हर्षवर्धन परगनिहा ने याचिका दायर की है।

ईडी का दावा, चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले

दरअसल, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया है। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग (हेराफेरी) की गई है।